

स्थान: नोएडा

केपमी सार्वजनिक
सदस्यता संख्या: ए 42906

अंसल प्रॉपर्टीज ऐण्ड इफ्कार्स्टकर लिमिटेड

सीमाइंग्न : एलएम101डीएलएल108प्रैलीसी04759

पंजी. कार्यालय : 115, अंसल मध्यन, 16 के जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001

फोन : 23353550, 66302268 / 69 / 70 / 72, रेखासाइट : www.ansalsapi.comई-मेल आईडी : shareholderservice@ansalsapi.com

राष्ट्रीय कम्पनी विषि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समझ

कम्पनी आधिनियम,

अंसल प्रॉपर्टीज ऐण्ड इफ्कार्स्टकर लिमिटेड,
पंजी. कार्यालय : 115, अंसल मध्यन, 16,
के जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001.

2013 की घारा 74 के विषय में तथा

अंसल प्रॉपर्टीज ऐण्ड इफ्कार्स्टकर लिमिटेड के विषय में
सी.पी. नंबर 25 / 09 / 2014
में

सी.ए. नंबर 10 / 03 / 2016

के विषय में:-

अंसल प्रॉपर्टीज ऐण्ड इफ्कार्स्टकर लिमिटेड,

पंजी. कार्यालय : 115, अंसल मध्यन, 16,

के जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001.

याचिका की सूचना

कम्पनी आधिनियम, 2013 की घारा 74 के साथ पहिले राष्ट्रीय कम्पनी विषि न्यायाधिकरण, 2016 के विषम 11 तथा 64 के तहत एक आवेदन अंसल प्रॉपर्टीज ऐण्ड इफ्कार्स्टकर लिमिटेड को सावधि जमा धारकों को प्रतिभुगतान के लिए समय के विस्तार और कम्पनी विषि बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा आवेदक कम्पनी के सावधि जमा धारकों को प्रतिभुगतान की स्फीप पारित की गई थी, के संशोधन हेतु अंसल प्रॉपर्टीज ऐण्ड इफ्कार्स्टकर लिमिटेड द्वारा 04 अगस्त, 2016 को प्रस्तुत किया गया था, और उक्त आवेदन 05 दिसंबर, 2016 तथा 20 दिसंबर, 2016 को सुचिहन्द किया गया था तथा अब उसकी सुनाई राष्ट्रीय कम्पनी विषि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के न्यायालय सं. 3, 8वांतल, दुरीय ल्लोक, सी.जी.ओ. कोम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली के समझ 13 जानवरी, 2017 को पूर्वा 10:30 बजे की जानी निर्धारित की गई है।

माननीय सदस्य, राष्ट्रीय कम्पनी विषि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली सारा आदेश दिनांकित 20 दिसंबर, 2016 के द्वारा उक्त आवेदन की सुनाना प्रकाशित करवाने का निर्देश दिया गया था। कोई भी व्यक्ति, जो उक्त आवेदन का सम्बन्धित अधिवाय विशेष करने का इच्छुक है, अपने आशय की सूचना पीठ अधिकारी, न्यायालय सं. 3, राष्ट्रीय कम्पनी विषि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित करे तथा उसकी प्रति आवेदक के अधिवक्ता अशय अंसल प्रॉपर्टीज ऐण्ड इफ्कार्स्टकर लिमिटेड को उपरायोगत पते पर श्री अमृतल सार्थी, कम्पनी सचिव, अंसल प्रॉपर्टीज ऐण्ड इफ्कार्स्टकर लिमिटेड, फोन नंबर 011-23353550 एसएसटेल 290 / 277 को संवादित करते हुए, उसके स्वयं अशय उसके अधिवक्ता हारा नाम एवं पते सहित हस्ताक्षित और सावधि जमा धारक द्वारा धारित सावधि जमा (ओ) का विवरण इस प्रकार प्रेषित करे ताकि संवादित पीठ अधिकारी तथा आवेदक के अधिवक्ता / अंसल प्रॉपर्टीज ऐण्ड इफ्कार्स्टकर लिमिटेड को उक्त आवेदन की उपरायोगत पते पर एक प्रति ऐसी सूचना के साथ संलग्न करनी चाहिए। यदि सावधि जमा धारक अवधार अथवा उसके अधिवक्ता ने उपरायोगत पते पर एक प्रति ऐसी सूचना के साथ संलग्न करनी चाहिए, तो विशेष के अधार अथवा उसके अधिवक्ता लिमिटेड द्वारा उक्त आवेदन की प्रति किसी भी सावधि जमा धारक को उसके लिए निर्धारित सुलक्षक के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रति एक कम्पनी, अधिवक्ता

दक्षिणेश्वर,

10, हेली रोड, 10वां तला,

नई दिल्ली-110001

वास्ते अंसल प्रॉपर्टीज ऐण्ड इफ्कार्स्टकर लिमिटेड

हस्ता।/-
(अद्युल सारी)
कम्पनी सचिवतिथि: 22-12-2016
सीन: नई दिल्ली

आपेक्षित विवर

10, हेली रोड, 10वां तला,

नई दिल्ली-110001

- स्थान: नोएडा
श्री सुनेन्द्र संघु पुन थी दी.एम. संघु के नाम में प्रतीकरण विला गुडगांव के भवतर थाँप ने, डीसीटी-234, बारही फ्लोर, डीएलएफ रिपर्टरी कोटेज, डालेल एफ सिटी, गुडगांव-122002 (हरियाणा) से शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।
- चौहाही:
- | | | | |
|--------|------------|---|------------|
| उमा | डीसीटी 233 | दरक्षण | डीसीटी 235 |
| पूर्व | सुला | परिचय | ऐसेज |
| तिथि: | 19/12/2016 | मुख्य प्रबोधक एवं प्राधिकृत अधिकारी विभाग | |
| स्थान: | नई दिल्ली | सिक्कारी विभाग | |

अधिकारी अधिवक्ता, सिक्कारी विभाग डिवीजन नं. सात, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के पंजीकृत उकेदारों से भारत के राष्ट्रपति की ओविभागों से पंजीकृत हैं, परंतु मुख्य अधिवक्ता (आई एंड एफ सी)

क्र.सं. एन.आई.टी. नं. कार्य का नाम

अधिकारी अधिवक्ता अधिवक्ता, सिक्कारी विभाग डिवीजन नं. सात, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के पंजीकृत उकेदारों से भारत के राष्ट्रपति की ओविभागों से पंजीकृत हैं, परंतु मुख्य अधिवक्ता (आई एंड एफ सी)

क्र.सं. एन.आई.टी. नं. कार्य का नाम

सी.टी.टी.-7/एनआईटी/ उत्तरी जिले के गांव लिवासपुर में लिवासपुर चौक तक की सड़क की ऊचा करने का कार्य।

सी.टी.टी.-7/एनआईटी/ मुकुंदपुर माइदार से मध्यी सुकावटों को ढूँ करना तथा रखरखाव का कार्य।

सी.टी.टी.-7/एनआईटी/ नेटवर्क के मुकुंदपुर माइदार के बाएँ दीवार का निर्माण कार्य।

सी.टी.टी.-7/एनआईटी/ उत्तरी जिले के गांव लिवासपुर में लेवर चौक से शिल लिवासपुर चौक की सड़क को कंचा करने का कार्य।

सी.टी.टी.-7/एनआईटी/ खेडा खुट्ट लिंक ड्रैन की आर.टी. 5010 मीटर पर तोड़कर द्वितीय लेन आर.सी.टी. पुल का निर्माण करोगा इन की आर.टी. 675 मीटर, 770 मीटर एवं स्थित बांक्स कलवट को तोड़कर पायप कुलवेट्स कार्य।

सी.टी.टी.-7/एनआईटी/ अलीपुर ब्लॉक में गांव घोगा के शमशान घाट का

उत्तरी जिले के गांव अलीपुर के बाएँ हुए लाल डोरे।

उत्तरी जिले के गांव अलीपुर में पुगाने जी.टी. करना कार्य।

उत्तरी जिले के गांव अलीपुर में पुगाने जी.टी. मरिय तक की सड़क का मरम्मत कार्य।

उत्तरी जिले का पंजीकरण निवादाएं खुलने की अंतिम तिथि तक हैं।

खुलने की मूल तिथि तक मात्र होना चाहिए।।

अर्नेस्ट मनी (बयाना राशि) मूल रूप में तथा सभी अन्य स्वयं कांपी इत्यादि) अधिशासी अधिवक्ता (सी.टी.-VII) सेक्टर-15 प्राप्ति हेतु प्रस्तुत करने होंगे।

उपरोक्त कार्य की समस्त जानकारी <http://govtprocurement.gov.in>

4. वह ठेकेदार जो सभी मानदंडों पर खेर नहीं उतरते या समस्त र

5. ई-प्रोक्सीरमेंट पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की गई निवादाएं ही।

6. ई-सीटी- VII, आई एंड एफसी में निवादा में भाग लेने वाले ते उन्हें बिड के समय अपलोड करना होगा। इसके अतिरिक्त सभी निवादाकार जिसको कार्य सौंपा जाएगा, उसके ई-एस.आई., ई-

DIP/Shabdardar/2841/16-17